भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 252

उत्तर देने की तारीख 10 जुलाई, 2019

5जी स्पेक्ट्रम नीलामी

252. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी)ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम इंटरनेट सहित 5जी सेवाएं आरंभ करने के लिए दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का छोटे नगरों तथा गैर-दूरसंचार कंपनियों को उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु प्राथमिकता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय, तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जारी 2/-

'5जी स्पेक्ट्रम नीलामी' के बारे में लोकसभा के दिनांक 10 जुलाई , 2019 के तारांकित प्रश्न संख्या *252 के भाग (क) से (ग) के संबंध में लोकसभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 5जी सहित किसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 01.08.2018 को 700 मेगाहर्ट्ज , 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300-3400 मेगाहर्ट्ज और 3400-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपनी सिफारिशे दी थीं। सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ख): सरकार सामान्यतया स्पेक्ट्रम की नीलामी लाइसेंस सेवा क्षेत्र-वार करती है। किसी एलएसए में उसमें आने वाले सभी शहर सम्मिलित होते हैं। ट्राई की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत नीलामी में भाग लेने की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

(ग): ट्राई की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने के उपरांत इसके ब्यौरे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय के आधार पर सरकार ने इस वर्ष (2019) के अंत तक स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित करने की योजना बनाई है।

****